



RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD,

4, Institutional Area, Paryavaran Marg, Jhalana Doongari, Jaipur 302004 Rajasthan (India).

Phone: +91-0141-5159669, 5159600, EPBAX email: member-secretary@rpcb.nic.in

क्रमांक एफ.11 (423)/रा.प्र.नि.म./प्रयोशाला/

दिनांक:-

ई-निविदा सूचना संख्या : 03/2021-22

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) के अन्तर्गत जयपुर शहर के विभिन्न 9 स्थानों पर वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों के संचालन (Operation of Respirable Dust Sampler एवं PM_{2.5} Sampler), उक्त उपकरणों के आस-पास सफाई, सुरक्षा एवं संरक्षण (Safety and Security), वायु नमूना संग्रहण (Collection of Air Sample), संबंधित फिल्ड डाटा शीट (Field Data Sheet) सहित विभिन्न कार्यो यथा विशलेषण इत्यादि कार्य अनुबंध के आधार पर कराने हेतु अनुभवी फर्मों/पंजीकृत संस्थाओं/एजेंसियों से दरें प्राप्त करने के लिए ई. बोली आमंत्रित की जाती है।

निविदा की अनुमानित लागत	निविदा शुल्क	RISL शुल्क	बिड सिक्यूरिटी	ई-बिड प्रारम्भ होने की तिथि व समय	ई-बिड अपलोड किये जाने की अंतिम तिथि व समय	ई-बिड खोलने की तिथि एवं समय
1	2	3	4	5	6	7
रुपये 18.00लाख	रुपये 500/-नगद/ डी.डी.	रुपये 500/- --	बिड सिक्यूरिटी राशि 36000/- के सम्बन्ध में वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 18.12.2020 एवं परिपत्र दिनांक 23.12.2020 के क्रम में बिड सिक्यूरिटी के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप में बिड प्रतिभूति घोषणा पत्र (Declaration) पर 50/- स्टाप ड्यूटी देय है तथा इस स्टाप ड्यूटी पर 30% नियमानुसार सरचार्ज देय है।	18/11/21 को प्रातः 11:30 बजे से	30/11/21 सायं 4:00 बजे तक	30/11/21 सायं 5:00 बजे

ई-बिड प्रपत्र एवं विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाईट www.environment.rajasthan.gov.in/rpcb or eprocc.rajasthan.gov.in एवं उपावन पोर्टल <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर देखे व डाउनलोड किया जा सकता है। बिड शुल्क का बैंक डाफ्ट/बैंकर्स चैक सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर के नाम से एवं RISL शुल्क प्रबंधक निदेशक RISL के पक्ष में देय होगा। अमानत राशि के डी.डी./बिड सिक्यूरिटी घोषणा पत्र के बिना बिड स्वीकार्य नहीं होगी।

UBN.....

सदस्य सचिव

दिनांक:- 16/11/2021

क्रमांक एफ.11 (423)/रा.प्र.नि.म./प्रयोशाला/3112

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त बोली सूचना का प्रकाशन एक क्षेत्रीय, एक राज्य स्तरीय 50 हजार ओर अधिक प्रतियों का परिचालन वाले मुख्य क्षेत्रीय समाचार पत्र में करवाने का श्रम करें।
2. प्रभारी अधिकारी, आई. टी. शाखा, को बोली सूचना को उक्तानुसार वांछित वेबसाइटों पर अविलंब अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
3. नोटिस बोर्ड, राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर।

सदस्य सचिव



RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD,

4, Institutional Area, Paryavaran Marg, Jhalana Doongari, Jaipur 302004 Rajasthan (India).

Phone: +91-0141-5159669, 5159600, EPBAX email: member-secretary@rpcb.nic.in

क्रमांक एफ.11 (423)/रा.प्र.नि.म./प्रयोशाला/

दिनांक:-

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला निविदा प्रपत्र

1. बोली प्रस्तुत करने वाले का नाम/फर्म का नाम:
2. पूरा पता :
3. संस्था की स्थिति में हस्ताक्षर करने वाले का नाम :
पदनाम एवं प्रमाणित हस्ताक्षर
4. निविदादाता का दूरभाषा संख्या/लेडलाइन नं.....मोबाइल नं.....
5. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित का विवरण निर्धारित कॉलम में प्रस्तुत की किया जायेगा पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ लगानी होगी।

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	पंजीकरण दिनांक	संलग्न क्रमांक
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 का वचन पत्र			
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952			
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948			
4	वस्तु एवं सेवा कर (G.S.T.)			
5	आयकर-पैन नम्बर			
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत			

6. Address proof
7. राजकॉम्प इनफो सर्विस लिमिटेड (RISL) के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट रुपये 500/- प्रति बोली Processing Fees) क्रमांक.....दिनांक
8. बोली प्रपत्र शुल्क 500/- रुपये /डी.डी./बैंकर चैक क्रमांक.....दिनांक.....
9. बिड सिक्योरिटी के संबंध में निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र संलग्न करना होगा अथवा डी.डी.
10. मैं/हम उपरोक्त ई-बिड सूचना संख्या.....दिनांक.....के संबंध में जोब बेसिक पर श्रमिक
11. एतद द्वारा निम्न लिखित दरे प्रस्तुत करता हूँ (दरे निम्ननुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी)।



RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD,

4, Institutional Area, Paryavaran Marg, Jhalana Doongari, Jaipur 302004 Rajasthan (India).

Phone: +91-0141-5159669, 5159600, EPBAX email: member-secretary@rpcb.nic.in

क्र. स.	सेवा का नाम व श्रमिक श्रेणी	श्रमिकों की संख्या	न्यूनतम दरी दर प्रति माह/प्रति इकाई	प्रतिमाह कुल राशि	सामाग्री की राशि एवं उपकरण किराया प्रतिमाह (रूपये) एक रू.से कम दरें स्वीकार्य नहीं होगी।	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज प्रतिमाह रूपये (एक रू.से कम दरें स्वीकार्य नहीं होगी)।	EPF राजस्थान सरकार द्वारा प्रचालित दर	ESI राजस्थान सरकार द्वारा प्रचालित दर	कुल राशि अंकों में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	क्षेत्र सहायक/अर्द्धकुशल	9	6864	61776			12%	3.25%	
2.	वैज्ञानिक सहायक/कुशल	3	7176	21528			12%	3.25%	

उपयुक्त तालिका में संवेदक द्वारा कॉलम 6,7 में ही राशि अंकित की जायेगी। शेष कॉलमों की पूर्तिया इस कार्यालय द्वारा ही अंकित कर, बोली दस्तावेजों में अंकित कर उपलब्ध कराई गई है। L-1का विवरण कॉलम 10 के आधार पर किया जायेगा।

बोलीदाता/संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (G.S.T.) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।

एक से अधिक बोली दाताओं द्वारा कॉलम 10 में समान राशि अंकित होने पर जिस बोली दाता का वित्तीय वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 में वार्षिक टर्न ओवर सबसे अधिक होगा, उस बोलीदाता को प्राथमिकता मिलेगी।

- टर्न ओवर:- बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत 02 वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 में न्यूनतम टर्न ओवर 05 (पाँच) लाख होना चाहिए। जिसके समर्थन में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित UDI No. सहित प्रमाण पत्र की प्रति बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करनी होगी। सम्बन्धित वर्षों की Audited/ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित बैलेंस शीट प्रस्तुत करनी होगी।
- मैं/हम राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर द्वारा जारी की गयी बोली सूचना क्रमांक एफ.11 (423)/रा.प्र.नि.म./प्रयोशाला-दिनांक:-.....में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न प्रपत्र में दी गयी उक्त बोली सूचना की शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करता हूँ/ करते हैं एवं जिनके स्वीकार किए जाने के प्रमाण में बोली प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।
- ऊपर उल्लेखित दरें बोली खोले जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकेगा। ठेका कार्यदेश जारी करने पर कार्यदेश की तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होगा।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

नाम :मैसर्स :



RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD,

4, Institutional Area, Paryavaran Marg, Jhalana Doongari, Jaipur 302004 Rajasthan (India).

Phone: +91-0141-5159669, 5159600, EPBAX email: member-secretary@rpcb.nic.in

पता :

क्रमांक	स्थान का नाम	प्रयोगशाला का नाम व पता जहाँ नमूने जमा कराने हैं।
1.	Recreation Center, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर	केन्द्रीय प्रयोगशाला, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, 4, पर्यावरण मार्ग, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
2.	PHED Office, अजमेरी गेट, जयपुर	
3.	RSEB Office, चांदपोल/ब्रह्मपुरी पुलिस थाना, जयपुर	
4.	रा.प्र.नि.मं. मुख्यालय, झालाना डूंगरी, जयपुर	
5.	क्षेत्रीय कार्यालय भवन, रा.प्र.नि.मं., जयपुर (उत्तर), सीकर रोड, जयपुर	
6.	रीको कार्यालय, मालवीय नगर औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर	
7.	रीको कार्यालय औद्योगिक क्षेत्र, बाईस गोदाम, जयपुर	
8.	रीको कार्यालय औद्योगिक क्षेत्र, सीतापुरा, जयपुर	
9.	नगर निगम कार्यालय मानसरोवर, जयपुर	

उक्त प्रबोधन केन्द्रों (Monitoring Stations) की संख्या नौ से अधिक की जा सकती है।

9.1 परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र पर क्षेत्र सहायक के अपेक्षित कार्य:-

- कार्य का विवरण: राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) जयपुर स्थित (09) स्थानों पर, जो बाद में बढ़ा कर बराह (12) स्थानों तक किये जा सकते हैं, पर वायु प्रदूषण मापने वाली मशीनों के चालन, (Operation of Respirable Dust Sampler एवं PM2.5 Sampler), उक्त उपकरणों के आस-पास सफाई, रक्षा एवं सुरक्षित रखने (Safety And Security), वायु नमूना संग्रहण (Collection of Air Samples) एवं संबंधित आंकड़ों (Ambient Air Quality Monitoring Data Sheet) सहित विश्लेषणार्थ (Analysis) एवं केन्द्रीय प्रयोगशाला, रा.प्र.नि.मं., जयपुर को निर्देशानुसार आंकड़ों तथा वायु नमूनों का हस्तान्तरण (Hand over) / परिवहन करना। Sample (नमूना) के परिवहन के लिए किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रबोधन केन्द्रों के स्थानों को परिवर्तित भी किया जा रहा सकता है। मापन किये जाने वाले वायु प्रदूषकों तथा मशीनों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है।
- निर्धारित स्टेशनों पर मण्डल द्वारा उपलब्ध करायी गयी मशीनों का सुचारु रूप से प्रचालन (Operation of Equipments)
- प्रत्येक प्रबोधन केन्द्र (Monitoring Station) प्रत्येक सप्ताह में दो दिवस 24 घंटे चलाया जायेगा।
- वंचित कार्य सम्पादन के लिए 8 घंटे प्रति पारी (6:00 AM से 2:00 PM, 2:00 PM से 10:00 PM एवं 10:00 PM से 6:00 AM) के संचालन हेतु प्रति पारी न्यूनतम एक क्षेत्र सहायक (Field Assistant) नियुक्त किया जायेगा।

9.2. मण्डल द्वारा विशेष परिस्थिति एवं त्यौहार यथा दीपावली के दौरान आवश्यक होने पर किन्ही चुनिंदा स्थानों/उपरोक्त लिखित प्रबोधन केन्द्र (केन्द्रों) पर सप्ताह में दो दिवस के स्थान पर तीन दिवस या अधिक दिन को भी यह कार्य किया जा सकता है। इस कार्य को करने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की होगी। इन कार्यों का भुगतान आनुपातिक दरों के अनुसार किया जायेगा।



RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD,

4, Institutional Area, Paryavaran Marg, Jhalana Doongari, Jaipur 302004 Rajasthan (India).

Phone: +91-0141-5159669, 5159600, EPBAX email: member-secretary@rspcb.nic.in

9.3 क्षेत्र सहायक (Field Assistant) की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक/सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है। उक्त कार्य करने का अनुभव होने पर प्रार्थी को प्राथमिकता दी जावेगी। वर्तमान में क्षेत्र सहायकों की आवश्यकता-09 (भविष्य में बढ़ोतरी योग्य)

9.4 वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) के अपेक्षित कार्य:-

परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम के कुशल संचालन वायु नमूना संग्रहण, संबंधित फिल्ड डाटा शीट सहित विभिन्न कार्यो यथा विशलेषण, इत्यादि में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने के अतिरिक्त मण्डल द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले विभिन्न कार्यो का समयबद्ध तरीके से सम्पन्न करना।

9.5 वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता

स्नातकोत्तर (पर्यावरण/रसायन विज्ञान) परीक्षा उत्तीर्ण होनी आवश्यक है अथवा केन्द्रीय प्रदूषण मण्डल/राज्य मण्डल के सेवानिवृत्त कार्मिक जिनको प्रयोगशाला में अधिकारी के रूप में कार्य करने का उचित अनुभव है। वर्तमान में क्षेत्र सहायक की आवश्यकता-03 है। (भविष्य में बढ़ोतरी की जा सकती है।)

9.6 शहर में परिवेशी वायु गुणवत्ता प्रबोधन हेतु (Air Quality Monitoring Stations) ठेकेदार के कर्मियों द्वारा संचालित किये जायेंगे।

9.7 मुख्य/अधीक्षक वैज्ञानिक अधिकारी/अन्य अधिकृत अधिकारियों को समय-समय पर कार्य का निरीक्षण करने का अधिकार होगा, जिसके दौरान पायी गई कमियों के आधार पर ठेकेदार/संस्था पर शासित अधिरोपित की जा सकेगी साथ ही ऐसी कमियों का ठेकेदार/संस्था द्वारा तुरन्त निराकरण करना होगा।

परिवेशी वायु गुणवत्ता कार्यक्रम (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) कार्य की शर्त :-

- बोली को जयपुर शहर के सम्पूर्ण प्रबोधन केन्द्रों (Monitoring Stations) वर्तमान संख्या 09 पर कार्य सम्पादन करने हेतु निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
- ठेकेदार/फर्म को पूर्व में सरकारी, अर्द्ध सरकारी/गैर सरकारी कार्यालयों में परिवेशी वायु गुणवत्ता कार्यक्रम अथवा अन्य प्रयोगशाला कार्य जिसमें नमूनों (सेम्पल) के एकत्रिकरण/विश्लेषण/नमूनों का परिवहन के लिये कर्मचारी आपूर्ति कराने/करने का न्यूनतम एक वर्ष का सन्तोषप्रद कार्य सम्पादन का अनुभव होना आवश्यक हैं। अनुभव का प्रमाण पत्र (जो कि सम्बन्धित विभाग द्वारा जारी किया गया हो) बोली पत्र के साथ संलग्न करना होगा। इस प्रमाण पत्र के अभाव में बोली पर विचार नहीं किया जावेगा। कार्यादेश को अनुभव का प्रमाण स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- राज्य मण्डल के सदस्य सचिव एवं मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी को अधिकार होगा कि अनुबन्ध की अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में नोटिस देकर अनुबन्ध को समाप्त कर सके। इस बारे में अनुबन्धकर्ता किसी भी हर्जे-खर्चे की मांग नहीं कर सकेगा एवं बोलीदाता द्वारा जमा करायी गयी प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
- ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बोली या संलग्न दस्तावेजों में कोई मिथ्या तथ्या या कोई अन्य त्रुटि पायी जाने की पर निविदा को रद्द करने एवं उसके द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि को जब्त करने का अधिकार सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल, जयपुर को होगा।
- विभाग किसी भी बोली अथवा समस्त बोलीयों को बिना कारण बताते अस्वीकृत कर सकता है। विभाग के लिए न्यूनतम दर की बोली स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होगी।
- बोली के साथ सभी आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे।
- बोली की अमानत का DD/धोषाणा पत्र, बिड प्रपत्र शुल्क/राशि (Earnest Money)/RISL फीस/बिड सिक्यूरिटी दिनांक : 30.11.2021 को सायं 04:00 बजे तक राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल, जयपुर में पहुच जाने चाहिए। प्राप्त बोली दिनांक 30.11.2021 को सायं 05:00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
- बोली प्रपत्र एवं हस्ताक्षर युक्त समस्त दस्तावेज Website-eproack पर ही प्रस्तुत (अपलोड) की जानी है।
- परिवेशी वायु गुणवत्ता कार्यक्रम (National Ambient Air Quality Monitoring Programme) के अन्तर्गत वायु नमूना संग्रहण (Ambient Air Monitoring) आंकड़ा प्रतिवेदन पत्र (Data Sheet) सहित केन्द्रीय



RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD,

4, Institutional Area, Paryavaran Marg, Jhalana Doongari, Jaipur 302004 Rajasthan (India).

Phone: +91-0141-5159669, 5159600, EPBAX email: member-secretary@rpcb.nic.in

प्रयोगशाला को परिवहन के कार्य हेतु टेका एक वर्ष के लिए दिया जावेगा। टेके की अवधि में कार्य उत्कृष्ट पाये जाने स्थिति में टेका आपसी सहमति से पूर्व स्वीकृत दरों एवं शर्तों पर बढ़ाया जा सकता है।

- प्रबोधन कार्य संचालन (Handling of Monitoring work) सम्पादन हेतु मशीन, उपकरण, रसायन तथा कार्य प्रशिक्षण (Training on Operation of equipment, supply of Absorbing Solutions, Filter Papers) आदि मण्डल प्रयोगशाला द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। आवश्यकतानुसार मशीन की मरम्मत, सर्विस (Servicing and Repairing) आदि की जिम्मेदारी मण्डल की होगी लेकिन प्रत्येक क्षेत्र सहायक (Technical Assistant) एवं वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) की कर्तव्य निष्ठा, सुचारु रूप से मशीन के संचालन/संधारण आदि के लिये निविदादाता उत्तरदायी होगा। क्षेत्र सहायक (Field Assistant)/एवं वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) द्वारा मशीन के चालन/प्रचालन में रुकावट पर तुरन्त मण्डल के नामित अधिकारी को सूचित करना होगा। यदि टेकेदार या उसके क्षेत्र सहायक (Technical Assistant) एवं वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) की लापरवाही से मशीन के खराब होने, कांच के सामान टूटने पर विभिन्न अभिकर्मको, फिल्टर पेपर, आकड़ा संग्रह आदि को क्षति पहुंचाने या दुरुपयोग करने पर ठीक कराने की जिम्मेदारी भी टेकेदार की होगी तथा मण्डल उपकरण ठीक कराने में किये गये व्यय को धरोहर राशि/उसे देय भुगतान में से वसूल कर सकेगा।
- टेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रेग्यूलेशन एण्ड एबोलिशन) एक्ट, 1970 के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। आयकर विभाग में स्थायी खाता संख्या एवं GST में रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र संलग्न किया जावे।
- कार्यों के विवरण में दिये गये कार्यों को करते समय यदि किसी की मृत्यु हो जाती या कर्मचारी किसी भी रूप में अपंग हो जाता है या अन्य कोई क्षति होती है या कोई अनहोनी हो तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं इसके मुआवजे आदि के भुगतान का भार टेकेदार द्वारा ही वहनन किया जायेगा। मण्डल किसी भी प्रकार की क्षति/मुआवजे के लिये किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।
- कर्मचारी राज्य बीमा, अंशदायी प्रावधानी निधि एवं अन्य कोई नियम जो टेकेदार पर लागू होते हो तो उन नियमों के अन्तर्गत उनकी पालना करने का उत्तरदायित्व टेकेदार का होगा।
- टेकेदार प्रतिमाह मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी या समकक्ष अधिकारी या समकक्ष से मासिक प्रमाणित उपस्थिति के साथ बिल प्रमाणित करायेगा। मण्डल द्वारा स्वीकृत निविदा राशि का ही भुगतान किया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का अन्य भुगतान नहीं किया जायेगा।
- टेके की शर्तों का उल्लंघन करने पर बिना कोई नोटिस दिये टेका निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
- टेके की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाने पर अध्यक्ष, रा० प्र० नि० म०, जयपुर आर्बिट्रेटर होगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।



RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD,

4, Institutional Area, Paryavaran Marg, Jhalana Doongari, Jaipur 302004 Rajasthan (India).

Phone: +91-0141-5159669, 5159600, EPBAX email: member-secretary@rpcb.nic.in

अन्य महत्वपूर्ण शर्तें:

1. ठेकेदार/संस्था इस कार्य सम्पादन हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्तियों की सूची मय फोटो तथा योग्यता प्रमाण पत्रों के संलग्न करेगा।
2. इस बोली के तहत कार्य के निष्पादन हेतु ठेकेदार/संस्था द्वारा निर्धारित योग्यताधारी व्यक्तियों को नियोजन किया जायेगा तथा ऐसे नियोजित व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम भुगतान नहीं करेगा। यदि उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो इस हेतु ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
3. ठेकेदार/संस्था द्वारा इस प्रकार नियोजित समस्त व्यक्तियों के आचरण की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार/संस्था की होगी तथा उसकी अनुशंषा पर ही उसके कर्मियों के मण्डल कार्यालय द्वारा प्रवेश पत्र/परिचय -पत्र बनाए जायेंगे। प्रत्येक क्षेत्र सहायक (Field Assistant) एवं वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) के लिये (ठेकेदार/संस्था के प्रतिनिधि सहित) मण्डल कार्यालय का प्रवेश पत्र रखना आवश्यक तथा मांगने पर दिखाना होगा।
4. प्रबोधन केन्द्र के चालन के समय 24 घंटे व्यक्ति उपलब्ध रहना अनिवार्य है।
5. ठेकेदार/संस्था द्वारा कार्य पर लगाये गये क्षेत्रीय सहायकों एवं वैज्ञानिक सहायकों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होगी।
6. ठेकेदार/संस्था द्वारा अपराधिक चरित्र/अपराधिक प्रकृति/न्यायलय द्वारा अपराध-सिद्ध दोषी, सजायाफता व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
7. ठेकेदार/संस्था के व्यक्तियों द्वारा यदि मण्डल सम्पत्ति, स्टेशन पर स्थापित उपकरण, विभिन्न रसायनों, अभिकर्मकों आदि को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार/संस्था को करनी होगी।
8. ठेकेदार/संस्था को राज्य मण्डल के अवधाता, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जब भी निर्देश हेतु बुलाया जावेगा तो वह तुरन्त उपस्थित होगा।
9. ठेकेदार/संस्था द्वारा नियोजित किये जाने वाले क्षेत्र सहायक (Field Assistant) एवं वैज्ञानिक सहायक (Scientific Assistant) के सम्बन्ध में विभिन्न श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों के प्रावधानों की पालना करने का सम्पूर्ण दायित्व ठेकेदार/संस्था का होगा। राज्य मण्डल उक्त समस्त श्रम कानूनों के लिए किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा।
10. प्रभावी श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों के तहत प्रावधानी निधि (EPF) एवं (ESI) और सेवाकर आदि की राशि जमा करवाने, एवं अन्य वित्तीय अथवा कानूनी दायित्व ठेकेदार/संस्था के होंगे। इस हेतु कोई अतिरिक्त भुगतान मण्डल कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।
11. श्रम एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों की पालना न करने पर अथवा अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करने पर एवं कार्य सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना नोटिस दिये ठेका समाप्त किया जा सकता है।
12. ठेकेदार/संस्था द्वारा नियोजित श्रमिकों के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली किसी भी सेवा/श्रमिक संबंधी विवाद में दायित्व ठेकेदार/संस्था का होगा तथा मण्डल कार्यालय से उनका कोई सम्बन्ध नहीं होगा।
13. यदि अनुबन्ध से सम्बन्धित कार्यों के सम्पादन में किसी प्रकार की लापरवाही पायी जाती है एवं इसके लिये निविदा शर्तों/कार्यादेश में शास्ति (Penalty) का स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है तो ऐसे कार्यों में लापरवाही या किसी प्रकार की शास्ति सदस्य सचिव द्वारा आरोपित की जा सकेगी।
14. ठेकेदार द्वारा चुकाये जाने वाली किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दंड एवं शास्ति (Compensation and Penalty) की राशि ठेकेदार को देय किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा प्रतिभूति (Payment or Security) राशि में से वसूल करने का अधिकार मण्डल को होगा।
15. उक्त शर्तों के अतिरिक्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों/RTTP Rules की शर्तें व विनियम भी ठेकेदार/संस्था को स्वीकार्य होंगे।



RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD,

4, Institutional Area, Paryavaran Marg, Jhalana Doongari, Jaipur 302004 Rajasthan (India).

Phone: +91-0141-5159669, 5159600, EPBAX email: member-secretary@rpcb.nic.in

16. इस निविदा के सम्बन्ध में अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई न्यायिक विवाद किसी भी सक्षम न्यायालय में उत्पन्न होता है अथवा पूर्व के ठेके का कोई विवाद न्यायालय में लम्बित हो और माननीय न्यायालय द्वारा यदि कोई दिशा निर्देश पारित किया जाये तो माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना ठेकेदार/संस्था द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी चाहे वह प्रकरण में पक्षकार हो अथवा नहीं हो।
17. यह है कि मण्डल कार्यालय द्वारा किसी भी परिस्थिति में यदि उक्त कार्य का कोई विकल्प प्राप्त कर लिया जाता है तो एक माह के पूर्व नोटिस के बाद संविदा समाप्त की जा सकेंगी।
18. इस निविदा के तहत अनुबन्ध की अवधि सामान्यतः एक वर्ष की होगी तथापि अनुबन्ध की अवधि में कमी अथवा बढ़ोतरी करने का अधिकार मण्डल कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
19. इस निविदा के सम्बन्ध में अथवा इसके तहत निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्ध की शर्तों की व्याख्या अथवा अनुबन्ध से सम्बन्धित किसी भी मामले में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस विवाद पर अध्यक्ष, रा0 प्र0 नि0 म0, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार/संस्था को मान्य होगा एवं ठेकेदार एवं राज्य मण्डल आपसी सहमति से अनुबन्ध को एक वर्ष के लिए निविदा की शर्तों एवं दरों पर बढ़ा सकते हैं।
20. ठेकेदार या उसके क्षेत्र सहायक (Field Assistant) द्वारा नमूनों के एकत्रिकरण के कार्य में प्रतिदिन केन्द्रीय प्रयोगशाला प्रभारी के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में नमूनों को मय आकड़ा प्रतिवेदन (Collected Sample and Data Sheet) विश्लेषण के लिये जमा कराया जायेगा।

शास्ति (Penalty)

- ठेकेदार/ठेकेदार के प्रतिनिधि द्वारा आंकड़ा प्रतिवेदन एवं नमूनों को केन्द्रीय प्रयोगशाला में समय पर जमा नहीं कराने पर उस दिन की भुगतान (Payment) की जाने वाली राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा उस दिन किये जाने वाली भुगतान राशि के बराबर की राशि की शास्ति (Penalty) लगायी जायेगी।
 - ठेकेदार द्वारा लगातार तीन दिवसों पर कार्य में लापरवाही करने पर उस दिनों को भुगतान की जाने वाली राशि की दो गुना राशि शास्ति के रूप में वसूली जायेगी।
 - लगातार सात कार्य दिवसों पर लापरवाही करने पर ठेका निरस्त किया जा सकेगा एवं प्रतिभूति राशि पूर्ण रूप से जब्त करी जायेगी तथा जोखिम पर कार्य अन्य संख्या से करवाया जावेगा तथा अन्तर की राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी।
21. किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद का क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।
 22. आगामी माह का बिल का भुगतान गत माह की E.S.I., P.F. के जमा की चालान की प्रतिलिपि मय सूची प्रस्तुत करने पर ही, किया जायेगा।
 23. श्रम विभाग की दरों एवं अन्य प्रावधानों की पालना भी सुनिश्चित की जावे।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

दिनांक

नाम : मैसर्स :
पता :

Form of Bid-Securing Declaration

Date :
Bid No. :
Alternative No. :

To :

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration. We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

- (a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
- (b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
- (c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
- (d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed; and
- (e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-

- (i) we are not the successful Bidder;
- (ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
- (iii) thirty days after the expiration of our Bid.
- (iv) the cancellation of the procurement process; or
- (v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed :-----

Name :-----

In the capacity of :-----

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :

Dated on day of

Corporate Seal -----

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]

